ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनीता शर्मा	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री भीष्म वर्मा	23.1.16 से लगातार

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री ठाकुर दास वर्मा	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत थाची के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	0.09
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.81
3	7	भण्डारण प्रविष्टियाँ न करना	4.26
4	8	कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करना	2.91
5	9	निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पाना	5.47
6	11	मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करना	—

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी व श्री राजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.9.2017 से 16.9.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/15, 3/16, 3/17 तथा 3/15, 8/15 व 3/17 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एस0आर0के0/18 दिनांक 15.9.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा यूको बैंक शाखा धामी के ड्राफ्ट संख्या 263540 दिनांक 16.9.2017 के अन्तर्गत यह मात्र राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित की गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न प्रकार "ब" व "स" पर तथा माह वार आय–व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क, ख"** पर दिया गया हैः–

(अ) संकलित वित्तीय स्थितिः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	526685.22	1572962	2099647.22	1641458.00	458189.22
2015—16	458189.22	717353	1175542.22	760896.16	414646.06
2016—17	414646.06	2290047.66	2704693.72	2391191.66	313502.06

(ब) अनुदान तथा स्वः स्त्रोतः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	510830.06	769735	1280565.06	823803	456762.06
2015—16	456762.06	513501	970263.06	555617	414646.06
2016—17	414646.06	1063814	1478460.06	1164958	313502.06

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष ₹313502.06

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि एवम हस्तगत रोकड़ का विवरण

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	हि0प्र0रा0स0 बैंक, सीमित, सुन्नी	44110105712	259196.06
2	—यथोपरि—	44110114897	2805.00
3	—यथोपरि—	44110114898	10387.00
4	—यथोपरि—	44110114899	13021.00
5	—यथोपरि—	44110115253	176.00
6	हि0प्र0रा0स0 बैंक, सीमित, जलोग	46610100191	52458.00
	एच0डी0एफ0सी0 सुन्नी	50100148565446	56084.00
	हस्तगत रोकड़		465.00
		कुल	394592.06
	अन्तर		₹81090

बैंक समाधान विरणीः—

क्र0सं0	विवरण	(+)	(—)
1	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	313502.06	—
2	चैक द्वारा भुगतान परन्तु दिनांक 31.3.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुये **"परिशिष्ट—घ"**	81090.00	—
3	दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि एवं हस्तगत रोकड	—	394592.06
	कुल जोड़	**394592.06**	**394592.06**

(स) मनरेगाः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	15855.16	803227	819082.16	817655.00	1427.16
2015—16	1427.16	203852	205279.16	205279.16	शून्य
2016—17	शून्य	1226233.66	1226233.66	1226233.66	शून्य

5 पंचायत राजस्व ₹0.09 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच में पाया गया कि गृहकर की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक आंशिक वसूली की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक गृहकर के रूप में ₹8765 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जायेः—

वर्ष	**अथशेष**	**मांग की जानी अपेक्षित**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014—15	920	3380	4300	4300	—
2015—16	—	3520	3520	3520	—
2016—17	—	8900	8900	135	8765

6 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹4.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट—ग की पद टिप्पणी—1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹481069 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 ₹4.26 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियाँ किया जाना अपेक्षित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट—ग की पद**

टिप्पणी–2" में दिये गये विवरणानुसार ₹425850 के क्रय की गई विविध वस्तुओं की भण्डारण प्रविष्टियाँ नहीं की गई जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करवाने के फलस्वरूप खरीदी गई सामग्री की खपत की भी जाँच नहीं की जा सकी। आगामी अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर तैयार करके खपत सहित अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त स्टॉक/स्टोर का रख–रखाव नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 ₹2.91 लाख के सड़क निर्माण व अन्य कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करनाः–

₹290500 का भुगतान सड़क निर्माण व अन्य कार्य की कुल 2602.387 घनमीटर की निष्पादित मात्रा हेतु विभिन्न फर्मों को 296 घंटे के लिये जे0सी0बी0 के किराये के रूप में निम्न विवरणानुसार किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "ऐनेलेसिस फॉर रेटस–2009, वोल–1" (दिनांक 25.10.2009 से लागू) के अध्याय 8 के पैरा 3, ए (बी) में दिये गये मानकों के अन्तर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 101 व 7891 के विभिन्न पन्नों पर इन कार्यों के निष्पादन का मुल्यांकन वास्तविक प्रयोग साधन मैकेनिकल मींस के आधार पर न करके मैनुअल मींस के आधार पर किया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपरोक्त वर्णित ऐनेलेसिस फॉर रेटस–2009 वोल–1 में निर्धारित मानकों के अनुसार एक्सक्वेटर/जे0सी0बी0 द्वारा प्रति घंटा किये जाने वाले अपेक्षित कटिंग कार्य की मात्रा के आधार पर निष्पादित की गई कुल मात्रा तथा उपयोग होने वाले अपेक्षित घंटों के आधार पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये तदोपरान्त जे0सी0बी0 चार्जिज के रूप में 296 घंटे के लिये किये गये उक्त भुगतान से तुलना करके अधिक भुगतान हुई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रमाणिकता प्रस्तुत की जायेः–

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम/माप पुस्तिका संख्या एवं पृ0	अर्थ कटिंग कार्य की निष्पादित मात्रा (माप पुस्तिका के अनुसार)	जे0सी0बी0 द्वारा किये गये कार्य के घंटे/दर प्रति घण्टा	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
9.4.14	01	11	परीक्षा भवन जी0एस0एस0एस0 चलाहल के प्लाट का निर्माण (मा0पु0 101 पृ005)	233.80 (102.30+131.50) घनमीटर	45/900	40500	—
8.2.17	66	56	जढ़ोग सड़क का निर्माण (मा0पु0 101 पृ042)	342.8575 घनमीटर	05/1600 50/850	50000	प्रस्तुत बिल ₹50500 परन्तु भुगतान की गई ₹50000
8.3.17	68	79	कांगटी नाला सड़क का निर्माण (मा.पु0 7891 पृ060–61)	2025.75 घनमीटर	45/1600 151/850	200000	प्रस्तुत बिल ₹200350 परन्तु भुगतान की गई ₹200000
					कुल	**290500**	

9 माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण ₹5.47 लाख के कार्य की वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका में निर्धारित रीति के अनुसार रख जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.14 से 31.3.17 में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण **"परिशिष्ट–ग पद टिप्पणी–3"** में दर्शाये गये भुगतान ₹547219 की विभिन्न राशियों की मदवार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मुल्यांकित राशि से जाँच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों मे ंउपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में

औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय–व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मदवार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन–देन के अनुसार प्रविष्टियाँ की जायेगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा। इस सार को बनाने का उद्देश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखना है। जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये।

11 मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करना और न ही इसका मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार करनाः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार पंचायत एरिया में वर्ष 2014 के पूर्व से ही भारतीय संचार निगम का एक मोबाईल टावर स्थित है। जिससे सम्बन्धित किसी प्रकार का शुल्क पंचायत द्वारा अंकेक्षण की तिथि तक प्राप्त नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान भी मोबाईल टावर की स्थापना की वास्तविक तिथि तथा वार्षिक शुल्क की मांग एवम प्राप्ति सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कुल प्राप्ति योग्य शुल्क का निर्धारण सम्भव नहीं हो सका। अतः मोबाईल टावर शुल्क प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसकी स्थापना की तिथि से अब तक समय–समय पर निर्धारित दरों के आधार पर प्राप्ति राशि की गणना करके यथाशीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

12 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंको दोनों में देय रकम कों इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्ततः हस्ताक्षरित या आद्द्याकक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये

तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरान्त ही अदायगी सुनिश्चित की जाये।

13 **प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक छः महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।

15 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 78/2017—खण्ड—1—752—755 दिनाँक29.01.2018
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.9.2017 के क्रम में पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत थाची, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

फोन नं0–0177 2620881